दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक दैनिक हो गया है। इसका सर्वे का कार्य आगे भी तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO :- CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, गुरूवार 04 जुलाई 2019 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-01, अंक-272

बारिश का कहरः बारिश के बाद रत्नागिरी में टूटा डैम, 6 शव मिले,20 से ज्यादा लापता

मुंबई (आरएनएस)। महाराष्ट्र के कई इलाकों में लगातार चल रही बारिश अब जानलेवा होती जा रही है. रत्नागिरी के आसपास के इलाकों में लगातार बारिश के चलते अब वहां मौजूद तिवरे बांध टूट गया. बांध टूटने के चलते 7 गांवों में बाढ़ के हालात हैं. बताया जा रहा है कि हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है. वहीं 20 से ज्यादा लोग लापता हैं। हादसा मंगलवार देर रात को हुआ, जिसके बाद अचानक कई गांवों में बाढ़ आ गई. हालात इतने खराब हो गए कि लोगों को बचने का समय भी नहीं मिला और कुछ लोग तो नींद में ही बह गए. बचाव कार्य शुरू करते ही पहले दो लोगों के शव मिले थे. बाद में बचाव दल को कीचड़ में दबे चार और शव मिले हैं. बांध के पास मौजूद 12 से ज्यादा घर भी बहाव में ढह गए हैं.

प्रशासन के अनुसार मृतकों की संख्या में इजाफा हो सकता है. बताया जा रहा है कि 20 से ज्यादा लोग लापता हैं और बांध से निकले कीचड़ और मलबे में उनके दबे होने की आशंका है. अगर ऐसा होता है तो मलबे में उनके बचने की संभावनाएं काफी कम होंगी. जिसके चलते मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है.

रत्नागिरी और उसके आसपास हो रही लगातार बारिश ने तिवरे बांध का जलस्तर अचानक बढ़ा दिया. बताया जा रहा है कि पिछले 72 घंटों से बांध के कैचमेंट एरिया में तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते बांध तक पानी लाने वाले नदी और नाले पूरे उफान पर हैं. पानी की अचानक आवक को बांध की दीवारें झेल नहीं सकीं और यह भरभरा कर ढह गया. बांध के टूटने के बाद उसके बहाव क्षेत्र में पड़ने वाले 7 गांवों में बाढ़ के हालात हैं।

वहीं, मुंबई में भी लगातार चार दिनों से चल रही बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है. मंगलवार को भी मलाड इलाके में बारिश के चलते एक दीवार गिरने के बाद अब तक मृतकों की संख्या 27 के पार पहुंच चुकी है. बताया जा रहा है कि अब तक 60 से ज्यादा लोग वर्षाजनित हादसों में घायल हो गए हैं. वहीं, कल्याण में भी बारिश के बाद दीवार के ढह जाने से तीन लोगों की मौत हुई है.

मौसम विभाग ने उत्तरी महाराष्ट्र के तटीय इलाकों और दक्षिणी गुजरात के इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर रखी है. इसके साथ ही तटीय इलाकों में हाई टाइड का भी अलर्ट जारी किया जा चुका है. मुंबई में लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले समय में महाराष्ट्र के कई इलाकों में हालात और खराब हो सकते हैं.

महत्वपूर्ण एवं खास

रूस में बाढ़ के कारण 220 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती

मॉस्को। रूस के इरकुत्स्क क्षेत्र में आयी बाढ़ के कारण 220 से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाढ़ से अभी तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है, 200 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती है और कम से कम आठ लोग लापता है। क्षेत्रीय आपातकालीन सेवा के प्रतिनिधि ने बताया कि अस्पताल में भर्ती लोगों की संख्या 221 हो गयी है जिसमें 41 बच्चे भी शामिल है। उन्होंने बताया कि लापता लोगों में भी एक बच्चा शामिल है। इरकुत्स्क क्षेत्र के तुलुन्स्की, चुंस्की, निझनेउडिन्स्की, तेशेत्स्की, जिमिंस्की और क्युतुंस्की जिलों में आपात स्थिति की घोषणा की गयी थी। क्षेत्रीय और संघीय अधिकारी आपदा से प्रभावित लोगों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं।

दोस्त ने गले लगाने से किया इनकार, तो कर दिया चाकू से वार

» कारण मुंह से बदबू आने का

बेंगलुरु (आरएनएस)। बेंगलुरु में मुंह से बदबू आने के कारण एक शख्स ने अपने दोस्त को गले लगाने से इनकार किया तो वह इतना खफा हो गया कि उसने चाकू से हमला बोल दिया. यह घटना रविवार की है जो कलासिपलयम के पास मावली में हुई. घटना करीब सुबह 11:45 बजे की है जब शोएब और नबी की अचानक मुलाकात हो गई. कथित तौर पर नबी ने शोएब को गले लगाने का प्रयास किया, लेकिन मुंह की बदबू की वजह से शोएब ने उसे पीछे धकेल दिया. इससे दोनों के बीच विवाद हो गया. नबी ने शोएब को पहले गाली दी और फिर चाकू निकालकर उसके पेट पर हमला कर दिया. रिपोर्ट के अनुसार शोएब ने अपने भाई शाहिद को सहायता के लिए बुलाया, जो कि कुछ देर में उस स्थान पर पहुंच गया, लेकिन नबी ने भागने से पहले शाहिद पर भी हमला बोल दिया. शोएब (23) और शाहिद (21) शहर के विल्सन गार्डन के निवासी हैं. दोनों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां दोनों खतरे से बाहर हैं. पुलिस ने सिद्दपुरा निवासी नबी को दोनों भाइयों पर चाकू से हमला करने के लिए गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 307 के तहत हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर लिया गया है.

पंजाब समेत 12 राज्यों के 50 स्थानों पर सीबीआई के छापे

नईदिल्ली (आरएनएस)। बैंक घोटाला मामलों में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने देशभर में विशेष अभियान के तहत 50 से अधिक स्थानों पर छापे डाले हैं। सीबीआई सूत्रों के अनुसार 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 18 अलग-अलग शहरों में यह छापे डाले गए हैं। छापे दिल्ली, मुंबई, लुधियाना, ठाणे, वलसाड, पुणे, पलानी, गया, गुरुग्राम, चंडीगढ़, भोपाल, सूरत और कोलार में पड़े हैं। आरोपियों के खिलाफ करीब 14 मामले दर्ज किए गए हैं। छह सौ चालीस करोड़ रुपए घोटालों के मामले में विभिन्न फर्मो, प्रवर्तकों, एसोसिएट्स और बैंक अधिकारियों के यहां छापे डाले गए हैं। इस कार्रवाई के दौरान रिकार्ड जब्त किए, जाने की भी खबर है। हालांकि किसी की गिरफ्तारी का समाचार नहीं है। सीबीआई ने बैंक धोखाधड़ी के मामले में विभिन्न कंपनियों, उनके प्रमोटरों, निदेशकों, फर्मो और बैंक अधिकारियों सहित कई आरोपियों के खिलाफ 14 मामले दर्ज किए गए हैं।

करतारपुर कॉरिडोर समझौते पर 14 को भारत-पाक की दूसरी बैठक

नईदिल्ली (आरएनएस)। पाकिस्तान ने करतारपुर गलियारे को लेकर दूसरी बैठक के लिए 14 जुलाई की तारीख का प्रस्ताव किया है। पाकिस्तान की सरकार की ओर से विदेश मंत्रालय को मिले प्रस्ताव के अनुसार करतारपुर गलियारे को खोलने की शर्तो, रूपरेखा एवं तकनीकी विषयों के संबंध में द्विपक्षीय समझौते के मसौदे पर बातचीत के लिए दूसरी बैठक 14 जुलाई को वाघा-अटारी इंटीग्रेटेड कॉम्प्लैक्स में बुलाने का प्रस्ताव किया है और भारत से प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का विवरण देने का अनुरोध किया है।

महिला वकील की हत्या

नोएडा (आरएनएस)। थाना सेक्टर 20 क्षेत्र के सेक्टर 31 में रहने वाली एक महिला वकील की बीती रात अज्ञात बदमाशों ने उनके घर पर हत्या कर दी। थाना सेक्टर 20 के प्रभारी निरीक्षक राजवीर सिंह चौहान ने बताया कि श्रीमती कुलजीत कौर (60) सेक्टर 31 के बी -218 में रहती थीं। वह पेशे से वकील थीं।

कुलजीत कौर के पति का काफी पहले देहांत हो चुका है। थाना प्रभारी ने बताया कि मंगलवार देर रात कौर का शव उनके घर में मिला। कौर ने एक सप्ताह पहले एक दंपति को अपने घर पर काम के लिए रखा था। दोनों नौकर नौकरानी घर से गायब है। महिला की कार भी घर से गायब है। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस उनके परिजन से बातचीत कर रही है। उन्होंने बताया कि अभी तक की जांच में यह बात सामने आई है, कि कौर का अपनी ननंद से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था, तथा यह मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच के लिए पुलिस की तीन टीमें बनाई गई हैं।

शाह ने डीपीसी को तलब कर लगाई फटकार

» मंदिर में तोड़फोड़ मामला

नईदिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में रविवार को दो गुटों में पार्किंग को लेकर हुए झगड़े में अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सख्ती दिखाई है. सूत्रों के अनुसार मामले पर गंभीरता दिखाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक को तलब किया है. साथ ही शाह ने पटनायक को मामले में फटकार लगाते हुए कहा है कि भविष्य में ऐसा कुछ न हो.

ज्ञात हो कि इस झगड़े के दौरान वहां पर मौजूद एक मंदिर को भी नुकसान पहुंचा था. इस दौरान अमित शाह से मिलकर आए पटनायक ने कहा कि गृहमंत्री से यह एक सामान्य मुलाकात थी. शाह ने मामले में कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. वहीं, चांदनी चौक में हालात अब सामान्य हो रहे हैं, चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना रविवार देर रात उस समय हुई जब आस मोहम्मद नाम का युवक एक इमारत के बाहर अपना स्कूटर खड़ा कर रहा था. इसे लेकर वहां रहने वाले संजीव गुप्ता ने आपत्ति जताई. संजीव की पत्नी बबीता ने बताया कि जब उनके पति ने स्टॉल के पास स्कूटर खड़ा करने पर आपत्ति की तो उस वक्त आस मोहम्मद वहां से चला गया. लेकिन बाद में वो कुछ और लोगों के साथ आया और उसने तोड़फोड़ और मारपीट की. बताया जा रहा है कि जो लोग उसके साथ थे उन सबने शराब पी रखी थी.

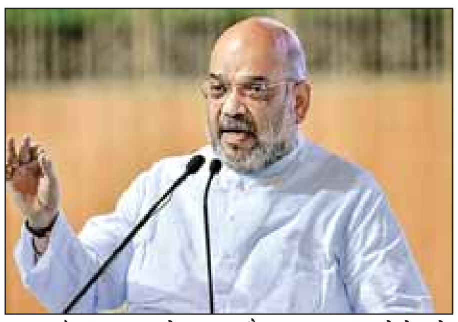

झगड़ा बढ़ने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर दिया. इसके बाद वहां पहुंची पुलिस मोहम्मद और संजीव गुप्ता दोनों को थाने ले आई. साकिब ने दावा किया, 'जब मोहम्मद और गुप्ता पुलिस थाने में थे, कुछ अज्ञात व्यक्ति मंदिर के बाहर एकत्रित हो गए और उसमें तोड़फोड़ की. इससे क्षेत्र में तनाव पैदा हो गया था.'

अब वेबसाइट पर हर भाषा में उपलब्ध होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला

नईदिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट जल्द ही अपने द्वारा सुनाए गए फैसले को कई क्षेत्रीय भाषाओं में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने की तैयारी में है. सूत्रों के मुताबिक जल्द ही सुप्रीम कोर्ट इस दिशा में काम करने की शुरुआत करने वाला है.

सुप्रीम कोर्ट में अब जजमेंट को अंग्रेजी से हिन्दी में ट्रांसलेट किया जाएगा. इसके बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में भी अनुवाद करने की कोशिश होगी. 500 पन्नों जैसे बड़े जजमेंट को संक्षिप्त करके एक या दो पन्नों में करेंगे ताकि आम लोगों को समझ में आ जाए. सुप्रीम कोर्ट शुरुआत में जिन क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने की शुरुआत करने वाला है उसमें अंग्रेजी के साथ हिन्दी, कन्नड़, असमिया, उड़िया और तेलगु है.

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट इस तैयारी में है कि बड़े फैसलों में 500 पन्नों जैसे बड़े जजमेंट को संक्षिप्त करके एक या दो पन्नों में कर सकें, ताकि आम लोगों को समझ आने में कोई परेशानी नहीं हो.

वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट एक थिंक टैंक बनाने की भी कोशिश कर रहा है. जिससे सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट को हिन्दी में भी ट्रांसलेट किया जा सके. ताकि आम लोग भी कोर्ट के फैसले को समझ सकें. इतना ही नहीं इस पर भी काम किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के बड़े-बड़े फैसलों को कैसे संक्षिप्त करके लोगों तक पहुंचाया जा सके.

कोर्ट ने मेघालय को दिया 100 करोड़ का जुर्माना भरने का निर्देश

» अवैध कोयला खनन मामला

नईदिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय सरकार को बुधवार को निर्देश दिया कि वह अवैध कोयला खनन पर रोक लगाने में असफल रहने के एवज में राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा लगाया गया 100 करोड़ रुपये का जुर्माना केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जमा कराए. न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति के. एम. जोसफ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह अवैध रूप से निकाला गया कोयला 'कोल इंडिया लिमिटेड' (सीआईएल) को सौंपे. सीआईएल इस कोयले को नीलाम कर उससे प्राप्त राशि राज्य सरकार को देगी. पीठ ने राज्य में निजी एवं सामुदायिक जमीनों में खनन की भी अनुमति दी है, लेकिन यह संबंधित अधिकारियों से स्वीकृति मिलने के बाद ही की जा सकेगी.

राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने चार जनवरी को मेघालय सरकार पर जुर्माना लगाया था. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने स्वीकार किया था कि प्रदेश में बड़ी संख्या में अवैध खनन हो रहा है.

गौरतलब है कि पिछले साल 13 दिसंबर को राज्य के पूर्वी जयंतिया पहाड़ी जिले में एक अवैध खदान में 15 खनिक फंस गए थे। उनमें से अभी तक सिर्फ दो शव बरामद हो सके हैं।

लीबिया में शरणार्थियों के केन्द्र पर हवाई हमला, 40 की मौत- 80 से अधिक घायल

त्रिपोली। लीबिया की राजधानी त्रिपोली के नजदीक अवैध प्रवासियों के एक केन्द्र पर हुए हवाई हमले में कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई जबकि 80 अन्य लोग घायल हो गए। त्रिपोली की स्वास्थ्य सेवा के अधिकारी मलेक मेरसेट ने बुधवार को इस हवाई हमले में 40 लोगों के मारे जाने और 80 लोगों के घायल होने की पुष्टि की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला मंगलवार देर रात हुआ। मेरसेट ने कहा, ताजौरा जिले में बिना आवश्यक दस्तावेजों वाले अवैध प्रवासियों के एक केन्द्र पर हुए हवाई हमले में विभिन्न अफ्रीकी देशों के 40 लोगों की मौत हो गई जबकि 80 अन्य घायल हो गए।

उन्होंने कहा कि घायलों को लगातार आवश्यक इलाज मुहैया कराया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (यूएनएचसीआर) ने शरणार्थियों के केन्द्र पर हुए हवाई हमले को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है।

जापान में भारी बारिश में फंसे 6 हजार लोगों को निकालने के आदेश

टोक्यो। जापान के कागोशिमा शहर में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण फंसे छह हजार लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर भेजने का आदेश दिया गया है। सार्वजनिक ब्रॉडकॉस्टर एनएचके ने बुधवार को यह जानकारी दी। जापान के दक्षिण पश्चिम में क्यूशू द्वीप सहित पूरे कागोशिमा प्रांत में हो रही मूसलाधार बारिश में फंसे लगभग छह हजार लोगों को निकालने का आदेश दिया गया है। कागोशिमा प्रान्त दुर्गम क्षेत्रों में से एक है जिसकी राजधानी कागोशिमा है।

निगमीकरण पर कांग्रेस की दोहरी नीतिःगोयल

» सोनिया पर रेल मंत्री का पलटवार

नईदिल्ली (आरएनएस)। रेल तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रेलवे की सात कंपनियों के निगमीकरण पर विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए बुधवार को कहा कि निजीकरण पर कांग्रेस दोहरी नीति अपना रही है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्ष तथा वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गाँधी ने मंगलवार को लोकसभा में रायबरेली की मॉडर्न रेल कोच फैक्टरी के निगमीकरण का मुद्दा उठाया था। सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने आज प्रश्नकाल में इस मुद्दे पर दुबारा सरकार से जवाब माँगा। गोयल ने अपने उत्तर में कहा, वर्ष 2004-05 के बजट भाषण में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं तत्कालीन वित्त मंत्री (पी. चिदम्बरम) ने कहा था विनिवेश और निजीकरण उपयोगी आर्थिक उपकरण हैं। वर्ष 2006 में दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डे का निजीकरण कांग्रेस ने किया। यहाँ तक कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के संचालन के लिए 28 मार्च 2013 को कांग्रेस सरकार ने एक निजी कंपनी बनायी थी। वे जीएसटी का पूरा डाटा निजी कंपनी को सौंपना चाहते थे। हमारी सरकार आने के बाद उसे सरकारी कंपनी बनाया गया। स्पष्ट है कि निजीकरण और निगमीकरण पर कांग्रेस की दोहरी नीति रही है।

उनके यह कहने पर कांग्रेस के सदस्य उठकर विरोध करने लगे। उनका कहना था कि चौधरी का प्रश्न रेलवे की कंपनियों के निगमीकरण से संबंधित था जबकि मंत्री उसके अलावा अन्य मुद्दों पर बोल रहे हैं। इसके बाद गोयल ने कहा कि कांग्रेस ने निगमीकरण नहीं निजीकरण किया था जबकि मोदी सरकार ने निगमीकरण किया है ताकि इन इकाइयों में ज्यादा रोजगार मिल सके, ज्यादा एलएचबी कोच बनाये जा सकें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय रायबरेली की फैक्टरी में कोच का निर्माण नहीं होता था। निर्माण एकीकृत कोच फैक्टरी, चेन्नई में होता था और रायबरेली में सिर्फ पेंटिंग और स्क्रू लगाने का काम होता था।

रेल मंत्री ने दावा किया कि रायबरेली की फैक्टरी में विनिर्माण काम 2018 से शुरू हुआ है। पिछले साल यहाँ 1,422 कोच बनाये गये जो क्षमता से ज्यादा हैं। द्रविड़ मुनेत्र कषगम की कनिमोझी ने तमिलनाडु में रेलवे प्रिंटिंग प्रेसों के बंद किये जाने के बारे में प्रश्न पूछा।

क्या केरल कानून से ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट ने की खिंचाई

नईदिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने गिरजाघरों में प्रशासन और प्रार्थनाओं के संचालन के अधिकार पर दो गुटों के बीच विवाद पर 2017 में दिये गये उसके फैसले को लागू नहीं करने पर केरल सरकार की खिंचाई करते हुए मंगलवार को कहा, क्या केरल कानून से ऊपर है? शीर्ष अदालत ने उसके फैसले को लागू नहीं करने पर राज्य के मुख्य सचिव को सलाखों के पीछे डालने की चेतावनी दी। ऑर्थोडॉक्स समूह के मलांकारा चर्च के तहत 1100 पेरिश और उनके गिरजाघरों का नियंत्रण देने पर शीर्ष अदालत के आदेश को लागू करने से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने चेतावनी दी कि वे केरल के मुख्य सचिव को न्याय प्रणाली का मज़ाक बनाने के लिए तलब करेंगे।

पीठ ने राज्य की ओर से पेश वकील से कहा, अपने मुख्य सचिव से कहें कि अगर वह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ जाने का इरादा रखते है, तो हम यहां सभी को बुलाएंगे। क्या केरल कानून से ऊपर है आप न्याय प्रणाली का मजाक बना रहे हैं। पीठ ने यह भी चेतावनी दी कि यदि शीर्ष अदालत द्वारा पारित आदेश को राज्य द्वारा लागू नहीं किया गया तो केरल के मुख्य सचिव को सलाखों के पीछे डाला जा सकता है। राज्य सरकार की जबरदस्त खिंचाई करते हुए पीठ ने कहा, आप मामले की गंभीरता को समझते है। हमने आप लोगों को इतना बर्दाश्त किया है। आपके खिलाफ कार्रवाई करने का समय आ गया है।